97 किस्म गै0रास्ता भूमि आई है जिसे नक्शा ट्रेस ग्राम राबिड़यावास नक्शा लट्ठा में तरमीम दर्शायी हुई है उसी जगह पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

सरहद मौजा राबड़ियावास को भू नक्शा का सेग्रीगेशन राजस्व लठा नक्शा ट्रेस के आधार पर ऑनलाईन नक्शा तैयार किया जो पूर्व लठा नक्शा को आधार मानकर सेग्रीगेशन कर ऑनलाईन किया गया जिसमें उक्त ऑनलाईन नक्शा में लिपिकीय भूलवश उक्त खसरा नम्बर 98/1 का लठा नक्शा के आधार पर भू नक्शा ऑनलाईन काश्त की भूमि में स्थापित कर दिया जिससे प्रार्थी को खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में सरकारी लाभ लेने एवं अन्य कार्य हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसे सुधार किया जाना न्यायतन जरूरी है। अतः उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कर नये सिरे से प्रार्थी कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कर मौके की स्थिति एवं नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम की जावे।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वाद वर्णित भूमि को ग्राम राबड़ियावास के खसरा नम्बर 97 किस्म गै0मु0 रास्ता के चिपते हुए लट्ठा नक्शा ट्रेस में तरमीम की हुई थी। वाद वर्णित भूमि की सेग्रीगेशन में लट्ठा नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम व मौका के अनुसार नहीं की गई है। वाद वर्णित भूमि की सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम पूर्व में लट्ठा नक्शा ट्रेस व मौका फर्द दिनांक 10.01.2025 अनुसार नहीं की गई। मौका व लट्ठा नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम अनुसार वाद वर्णित भूमि की तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है।

3. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् तथा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 98/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी है लेकिन सेग्रीगेशन की कार्यवाही करते लिपिकीय भूलवश राजस्व लठा नक्शा ट्रेस के आधार पर ऑनलाईन नक्शा तैयार किया जो पूर्व लठा नक्शा को आधार मानकर सेग्रीगेशन कर ऑनलाईन किया गया जिसमें उक्त ऑनलाईन नक्शा में लिपिकीय भूलवश उक्त खसरा नम्बर 98/1 की राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिया गया। तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खसरा की मौका स्थिति एवं ऑनलाईन नक्शे की स्थिति में भिन्नता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र के भली भांति साबित होने होने से सरहद मौजा राबड़ियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 98/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर के भू राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरुस्त करते हुए उक्त खसरान की आराजी का नये सिरे से तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी के अनुसार नाप चौप कर तरमीम करवाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद मौजा राबड़ियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज० के खसरा नम्बर 98/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की राजस्व भू नक्शा ट्रैस में विद्यमान त्रुटिपुर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए पुनः नये सिरे से तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी, मौके स्थिति एवं भू नक्शे मौके अनुसार नाप चौप कर सीमाज्ञान करते हुए तरमीम की जावें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 01/04/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)